



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2023 (फाल्गुन 12, शक संवत् 1944)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:06 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिये जाने विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह नेता प्रतिपक्ष द्वारा कथन किया गया कि विपक्ष के द्वारा अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया है, पहले उस पर निर्णय आ जाये। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि पहले प्रश्न काल हो जाने दें। आपके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की सूचना अभी मेरे समक्ष नहीं आयी है जब आएगा, तब देखेंगे।

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव नियम प्रक्रिया के तहत 14 दिन पहले दिया जाता है। इस पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि सत्र 27 मार्च तक है और हमने 14 दिन पहले देने की प्रक्रिया का पालन किया है हम यह चाहते हैं कि आप यह बता दें कि इस पर चर्चा कब कराएंगे। श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य द्वारा अपनी बात रखते हुए यह कहा गया कि जब किसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है तो अध्यक्ष को किसी अन्य को अपनी कुर्सी देकर कार्यवाही चलाना चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि श्री जितू पटवारी, सदस्य का निलंबन का प्रस्ताव मैंने रखा था न कि अध्यक्ष ने जिसका निर्णय सदन पर छोड़ा गया था और सदन में बहुमत के आधार पर पर उनका निलंबन हुआ है। इस दौरान सदन के अंदर सत्ता पक्ष एवं विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यवधान व शोरगुल होता रहा।

सदन में उक्त विषय की चर्चा के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष के सामने गर्भगृह के बीच एक भूत्य के आ जाने पर उन्हें बीच में से हटने को बोलने और हाथ से इशारा करने के दौरान संसदीय कार्य मंत्री के हाथ में रखी नियमावली संबंधी पुस्तक छूट कर गर्भगृह में जा गिरी। इस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्री के हाथ से नियमावली की पुस्तिका फेंकने संबंधी बात कहते हुए और उनको निलंबित करने संबंधी नारे लगाते हुए गर्भगृह में आ गये।

2. गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्री के हाथ से नियमावली की पुस्तिका छूटने के कारण उनको निलंबित करने और संसदीय कार्य मंत्री की गुंडागर्दी नहीं चलेगी कहते हुए गर्भगृह में आ गये, लगातार नारेबाजी करते रहे।

आसंदी से समझाइश के बाद भी व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 11.12 बजे से प्रश्नकाल तक के लिए स्थगित की जाकर 12.00 बजे विधान सभा पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए।

(व्यवधान होने के कारण आज प्रश्नकाल नहीं हो सका।)

3. संसदीय कार्य मंत्री को पूरे सत्र की बैठकों से निलंबित करने संबंधी माँग एवं विशेषाधिकार प्रस्ताव दिये जाने संबंधी उल्लेख

श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य द्वारा आसंदी से कहा गया कि डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय मंत्री द्वारा संविधान की किताब को फेंकने संबंधी जो अमर्यादित आचरण किया गया है उसके प्रत्यक्ष गवाह आप स्वयं हैं। हमारी आसंदी से माँग है कि संसदीय कार्य मंत्री जी के इस आचरण के लिए उनको तत्काल सदन से निलंबित किया जाये। इस पर डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री द्वारा आसंदी को अवगत कराया गया कि मैं उस भूत्य को बीच से हटा रहा था उस दौरान मेरे हाथ से नियमावली की किताब छूट गई इसके लिए मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ।

डॉ. गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह कथन किया गया कि मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है और उसमें मैंने माँग की है कि संसदीय कार्य मंत्री जी को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाये।

4. अध्यक्षीय व्यवस्था सदन की कार्यवाही शालीनता के साथ चलाये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - सदन को स्मरण होगा कि मेरे द्वारा अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सदन में व्यवस्था बनाने एवं माननीय सदस्यों विशेषकर श्री जितु पटवारी को शालीनता के साथ अपनी बात सदन की परंपराओं के अनुसार रखने का बार-बार अनुरोध किया गया, परंतु इसके बावजूद सदन में उत्तेजना की स्थिति निर्मित होती रही। इसके उपरांत भी मेरे द्वारा सदन की कार्यवाही स्थगित कर शालीनता के साथ कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए संबंधित पक्षों के सदस्यों से परामर्श कर समझाइश भी दी गई तथा सदन में श्री जितु पटवारी से अपने सत्य कथन के संबंध में खेद व्यक्त कर प्रकरण समाप्त करने का भी प्रयास किया गया लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। तदुपरांत सदन में माननीय सदस्य को सत्र की शेष बैठकों से निलंबन का प्रस्ताव पारित हुआ, इस तरह इस संपूर्ण प्रकरण में मेरी भूमिका पूर्णतः निष्पक्ष एवं सदन में व्यवस्था बनाने की रही है लेकिन सदन में कतिपय सदस्यों के व्यवहार से जो स्थिति निर्मित हुई, यह दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण थी।

आज पुनः सभी पक्ष व प्रतिपक्ष से माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि यह सत्र महत्वपूर्ण बजट सत्र है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ अनेक जनहित के विषयों पर चर्चा की जानी है। इसलिए सदन की कार्यवाही शालीनता के साथ चलाने में सहयोग प्रदान करें।

मेरा आगे भी यही प्रयास रहेगा कि पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों को जनहित के विषयों को उठाने के लिए एवं अपनी बात रखने के लिए निष्पक्षता से पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए।

इस पर डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि सरकार चाहती है कि सदन में चर्चा ना हो। जहाँ सरकार के कारनामे खुलते हैं वहाँ विधायकों के प्रश्न के उत्तर नहीं दिये जाते हैं यह मैं तीन वर्षों से देख रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि श्री जितु पटवारी, सदस्य द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। जो जवाब सदन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रशासन मंत्री की हैसियत से दिया था उसी का जवाब उन्होंने पटल पर रखा था। अब उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है और इनकी सदन चलाने की परंपरा नहीं है, यह सदन ना चलाकर प्रजातंत्र से भागते हैं, सदन की अवमानना करते हैं।

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कहा गया कि हम पूरा सदन चलाने को तैयार हैं। डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस पर कहा गया कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किताब फेंक कर घृणित कार्य किया गया है। किताब अपने आप सरकारी नहीं है। हमारी माँग है कि जिस प्रकार कल जितु पटवारी को निलंबित किया गया उसी प्रकार संसदीय कार्य मंत्री को भी पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाये। इस पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कहा गया कि हम पूरा सत्र चलाने तैयार हैं लेकिन यह हो हल्ला करके सदन नहीं चलाना चाहते हैं इनके पास कोई तथ्य नहीं हैं। जो कागजात कांग्रेस ने दिये हैं इन पर आधे सदस्यों के दस्तखत नहीं हैं और श्री कमल नाथ जी के दस्तखत भी नहीं हैं।

5. गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही की माँग को लेकर गर्भगृह में आ गये और नारे बाजी करने लगे। इस दौरान गर्भगृह में श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम पुस्तिका फाइकर फेंकी गई।

(नारेबाजी एवं व्यवधान के मध्य सदन की कार्यवाही निरंतर जारी रही)

6. नियम 267-के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल की वार्ड क्र. 16 अंतर्गत गैस पीडित बस्ती में गैस पीडित रोगियों को उपचार की व्यवस्था न होने,
- (2) डॉ. सतीश सिंह सिकरवार, सदस्य की चम्बल संभाग के अनेक जिलों में दूध, पनीर, मिर्च मसालों, पान मसालों में भारी मिलावट होने,
- (3) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की नर्मदापुरम जिले में नर्मदा तवा सहित अन्य छोटी नदियों में आने वाली बाढ़ से कटाव में आई किसानों की भूमि का मुआवजा न मिलने,
- (4) श्री सुनील सराफ, सदस्य की कोतमा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कॉलरियों में स्थानीय निवासियों के स्थान पर अन्य राज्यों के लोगों को काम पर लगाये जाने,
- (5) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य की उज्जैन जिले के विधानसभा क्षेत्र घटिया जनपद पंचायत खाचरौद अंतर्गत स्थित जर्जर मेलनाथ स्टाप डेम को दुर्रस्त कराये जाने,
- (6) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कालोनियों की खराब सड़कों एवं नालियों को ठीक कराये जाने,
- (7) श्री आरिफ मसूद, सदस्य की भोपाल नरेला विधानसभा क्षेत्र वार्ड-37 के कृष्णा नगर कालोनी में बुजुर्ग महिला एवं पुरुष हेतु चौपाल का निर्माण कराये जाने,
- (8) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पात्र चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति लंबित होने,
- (9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की शासकीय महाविद्यालय खाचरौद के रिनोवेशन कार्य को ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने,
- (10) इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य की विधानसभा राहतगढ़ की ग्राम पंचायत नरयावली स्थित महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ कराये जाने,
- (11) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले में मेडिकल कालेज खोले जाने,
- (12) श्री तरुण भनोत, सदस्य की जबलपुर स्थित पशु विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले महाविद्यालयों के छात्रों की चिकित्सा शिक्षा के छात्रों के बराबर स्टाय फण्ड प्रदाय किये जाने,
- (13) डॉ. राजेन्द्र पाण्डे, सदस्य की जावरा सीतामउ मार्ग के मध्य आने वाले रूपनियां असावती एवं भड़का नाले पर ब्रिज का निर्माण कराये जाने,
- (14) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य की मुरैना में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वर्तमान वरिष्ठता सूची में संविलियन दिनांक में काफी विसंगति होने,
- (15) श्री संजय यादव, सदस्य की भेड़ाधाट सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों को गुणवत्ता विहीन कराये जाने,
- (16) डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य की पन्ना जिले की तहसील पवई अंतर्गत ग्राम पटोरी एवं पिपरिया तिवारी में स्थित शासकीय वन भूमि पर वन माफियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने,
- (17) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की पुरातत्व महत्व के शिव मंदिर का संरक्षण पुर्णनिर्माण कराये जाने,
- (18) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र हटा अंतर्गत विभिन्न क्षतिग्रस्त जलाशय एवं नहरों में सुधार कराये जाने,
- (19) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य की सिवनी नगर मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी होने तथा
- (20) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की प्रदेश के गाँवों में सेवारत कोटवारों के मानदेय में वृद्धि किये जाने संबंधी नियम 267-के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ.नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने अधिसूचना फा.क्र.दो-12-11-मा.अधि.-2003, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 पटल पर रखी।

(2) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने अधिसूचना एफ 35-31-2019-एम-31-106, दिनांक 30 जून, 2022 पटल पर रखी।

(3) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 पटल पर रखा।

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा।

(5) श्री प्रेमसिंह पटेल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा।

(6) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा।

(7) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल (मध्यप्रदेश) का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22,

(ii) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22, एवं

(iii) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022,

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी, जिला-कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22,

(ग) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22, एवं

(घ) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखे।

8. ध्यानाकर्षण

श्री संजय यादव, सदस्य की बरगी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट एवं सर्वेश्वी श्याम लाल द्विवेदी तथा प्रदीप पटेल, सदस्यगण की रीवा जिले के हनुमना-चाकघाट मार्ग पर स्थित सौनोरी घाट का निर्माण न होने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 192-जोबट (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती सुलोचना रावत को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2023 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की।

10. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई :-

- (1) श्री मेवाराम जाटव (जिला-भिण्ड)
- (2) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)
- (3) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
- (4) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
- (5) श्री भूपेन्द्र मरावी (जिला-डिण्डौरी)
- (6) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
- (7) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
- (8) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
- (9) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
- (10) श्री घनश्याम सिंह (जिला-दतिया)
- (11) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
- (12) श्री मुरली मोरवाल (जिला-उज्जैन)
- (13) श्री नीरज विनोद दीक्षित (जिला-छतरपुर)
- (14) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार))
- (15) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर))

- (16) श्री रामचन्द्र दांगी (जिला-राजगढ़)
- (17) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
- (18) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
- (19) श्री अनिश्चद्ध 'माधव' मारू (जिला-नीमच)
- (20) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
- (21) श्री ग्यारसीलाल रावत (जिला-बड़वानी)
- (22) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
- (23) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
- (24) श्री सुनील सराफ (जिला-अनूपपुर)
- (25) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
- (26) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
- (27) श्री प्रागीलाल जाटव (जिला-शिवपुरी)
- (28) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
- (29) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
- (30) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
- (31) श्री निलय विनोद डागा (जिला-बैतूल)
- (32) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार 'रजौधा' (जिला-मुरैना)
- (33) श्री पंचलाल प्रजापति (जिला-अनूपपुर)
- (34) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
- (35) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
- (36) श्री प्रणय प्रभात पान्डे (जिला-कटनी)
- (37) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी (जिला-खरगोन शहर)
- (38) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (39) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
- (40) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-अनूपपुर)
- (41) श्री श्यामलाल द्विवेदी (जिला-अनूपपुर)
- (42) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
- (43) श्रीमती सुनीता पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (44) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे (जिला-देवास)

11. शासकीय वक्तव्य

श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने दिनांक 03.03.2023 को मंत्री परिषद् में हुए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 के तहत घोषित अपूर्ण नगर सुधार स्कीम्स के संबंध में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 (22 फाल्गुन, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

भोपाल:
दिनांक: 3 मार्च, 2023

**ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.**